तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
08/6/2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 कैम्प बिनायकपुरा में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारान को मजमे आम सुना गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम बिनायकपुरा में स्थित खसरा नंबर 267/6 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के पिता दुर्गासिंह के नाम से खातेदारी की थी जो वादी को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा के प्राप्त हुई तब से आज तक वादी का वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। अंत में वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी ख.नं. 267/6 रकबा 14-10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध, वादी को बेदखल नहीं करने एवं किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होने के बावजूद वाद दायर होने से आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया एवं मजमे आम पक्षकारों को सुना गया। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि है जो वादी को पिता दुर्गासिंह से जरिये रजिस्टर्ड [initials]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वसीयतनामा से प्राप्त हुई, जिस पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही कब्जा काश्त है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य है। **आदेश** वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम विनायकपुरा के खसरा नंबर 267/6 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वे वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करायें। डिक्री पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज कैम्प कोर्ट विनायकपुरा में खुले न्यायालय में मजमे आम सुनाया गया। 8/6/2018 (चंचल वर्मा) शिविर प्रभारी अधिकारी रा.लो.अ.अभि. न्याय आपके द्वार–2018 एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी	